Form No.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलैक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

बनाम्

किस्म मुकदमा :– दावा अ.धा. 88 188, आर.टी.एक्ट. मुकदमा नम्बर:–49/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23.01.24	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री कानाराम पूनियां एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। वकील वादी ने साक्ष्य वादी में वादी फक्कड़नाथ पुत्र लादूराम व गवाह बनवारीलाल यादव पुत्र नारायण राम यादव व गुलाझारीलाल पुत्र हरनाथ ने लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किये गये। प्रकरण में वकील वादी ने बहस अंतिम किये जाने का निवेदन किया। जिस पर प्रकरण में अंतिम बहस सुनी जाकर वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत् उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को आंशिक रूप से स्वीकार कर निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। 23/01/24 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 10:43:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

पीठासीन अधिकारी - श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
2023/149	2023/317	05.09.2023	23.01.2024

उनवान प्रकरण

1. फक्कड़नाथ पुत्र लादूराम आयु 58 वर्ष जाति अहीर निवासी ग्राम सुराणी धाम तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना

-----वादी

बनाम्

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

----प्रतिवादी

2. बीरबल पुत्र लादूराम आयु 55 वर्ष
3. नानूराम पुत्र लादूराम आयु 50 वर्ष

जाति अहीर निवासीगण ग्राम सुराणी धाम तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना -----**तरतीबी प्रतिवादीगण**

उपस्थिति :-

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका एड0 वादी अभिभाषक।

श्री कानाराम पूनियां एड0 तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 10:43:00 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र बाबत तकसीम एवं स्थाई निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम)

23/01/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

--:: निर्णय ::--

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 663 रकबा 3.73 हैक्टर किश्म बंजड़-2 तन् ग्राम सुराणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है जिसके पुराने खसरा नम्बर 380 है। उक्त भूमि पर सदैव से वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता वक्त बुजुर्गान से काबिज काश्त चले आ रहे है, किन्तु राजस्व रिकार्ड प्रथम सैटलमेन्ट पूर्व से ही गलत चला आ रहा हैं तथा उक्त भूमि की किस्म भी वर्तमान में गलत अंकित है जो गलत है। वादी के पूर्वजों एंव वादी द्वारा काश्त की जाती रही है। जिसका गिरदावरियो में भी अंकन है। वादपत्र की मद नम्बर 1 में उल्लेखित नवीन भूमि खसरा नम्बर 663 रकबा 3.73 हैक्टर तन् ग्राम सुराणी पर पहले वादी का पिता व इसके बाद वादी काश्त करता आ रहा है। अर्थात वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर वक्त बुजुर्गान व प्रथम सैटलमेन्ट से पूर्व से तन्हा रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा उक्त रकबे पर 50-60 वर्षो से भी अधिक समय से निर्विवाद रूप से मकान बनाकर काबिज काश्त चला आ रहा है। वादपत्र में उल्लेखित उक्त भूमि को वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण ... बुजुर्गान से तन्हा रूप से बिना किसी बाधा व रोकटोक के प्रतिवादीगण की जानकारी में काश्त कर रहा है। इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 10:43:00 IST
Reason: SelfAttested

23/01/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

कारण उक्त लम्बे कब्जे के आधार पर विपरीत कब्जा के आधार पर भी वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण कानूनन उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका है ओर उक्त खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने का वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण कानूनन अधिकारी है। अर्थात उक्त घोषणा करवाकर वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण उक्त भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। उक्त भूमि से दीगर का कोई ताल्लुक किसी किश्म का नही है तथा वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम से कराने का अधिकारी हैं। वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण वक्त बुजुर्गान अर्थात पिता/दादा के समय से लगातार इस भूमि पर काबिज काश्त राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रभाव में आने से पूर्व से से काबिज होने से उक्त भूमि बाबत खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने का कानूनी अधिकारी है। अर्थात वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण अपने उक्त अधिकारो की घोषणा बाबत यह दावा प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि उक्त भूमि पर वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण वक्त बुजुर्गान से काबिज काश्त है। अर्थात इस भूमि पर वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण को कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है ओर उक्त अधिकारो की घोषणा किया जाना अति आवश्यक एंव न्यायोचित है क्योंकि उक्त खातेदारी अधिकारो की [illegible] के अभाव में वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण अपने विधिक अधिकारो से [illegible] हो रहा है। जिसके बाबत वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 10:43:00 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
23/01/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

को सख्त हकतल्फी है तथा वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण उक्त घोषणा के अभाव में वक्त बुजुर्गान के समय से कब्जा काश्त में चली आ रही कृषि भूमि का समुचित विकास नही कर पा रहा है तथा समय-समय पर भू-धारको को मिलने वाली राजकीय सहायताओ से भी वादी वंचित हो रहा है। वादी एंव तरतीबी प्रतिवादी कानूनन विपरित कब्जा के सिद्धान्त पर भी इस भूमि का कानूनन खातेदार काश्तकार हो चुके हैं, केवल मात्र राजस्व रिकार्ड अपने नाम दर्ज करवाकर उक्त भूमि की गलत रूप से चली आ रही किस्म को दुरूस्त करवाना चाहता है। इस कारण दावा पेश किया हैं। वादी ने खातेदारी हेतु भी प्रतिवादी को बार-बार निवेदन किया, किन्तु प्रतिवादी द्वारा वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण के उक्त निवेदन की ओर कोई ध्यान नही दिया गया उल्टा दिनांक 25.08.2023 को प्रतिवादी ने धमकी दी हैं कि उक्त भूमि वे अपने चहेते दीगर व्यक्ति के नाम नियमन करेगें। इसलिये वादपत्र पेश किया हैं। प्रतिवादी राजस्थान सरकार व उसके प्रतिनिधी हैं एंव रिकार्ड संधारण करने वाले अधिकारी, कर्मचारी हैं। जिनके विरूद्ध दावा पेश करने हेतु 2 माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं, किन्तु मामला अत्यावश्यक प्रकृति होने से दो माह का नोटिस दिया जाकर दावा पेश करने में काफी विलम्ब हो रहा हैं। इस कारण धारा 80 (2) [illegible] की अनुमति के बाद दावा पेश किया हैं। प्रस्तुत प्रकरण में वर्णित भूमि [illegible] ग्राम सुराणी तहसील श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 10:43:00 IST
Reason: SelfAttested

23/01/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

मे स्थित होने व वादी ग्राम सुराणी तहसील श्रीमाधोपुर का निवासी होने से प्रस्तुत दावा बाबत् माननीय न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार हांसिल हैं एंव तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 2 व 3 वर्तमान मे उपलब्ध नही होने से उन्हे तरतीबी प्रतिवादी बनाया गया है। अंत मे निवेदन किया है कि घोषणा इस आशय की जावे कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 663 रकबा 3.73 हैक्टर किश्म बंजड़-2 तन् ग्राम सुराणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान का वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर लगान कायम किया जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाने का निवेदन किया।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई जाने हेतु तहरीर जारी की गई लेकिन प्रतिवादी द्वारा न्यायालय मे तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश नही कि गई है तथा तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 की ओर से एडवोकेट कानाराम पूनियां ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया एवं वादी के मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र व गवाह/साक्ष्य मे बनवारीलाल यादव व गुलझारीलाल यादव के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुये जो शामिल मिसल किये गये। विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 663 रकबा 3.73 हैक्टर किश्म बंजड़-2 तन् ग्राम सुराणी तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 10:43:00 IST
Reason: SelfAttested

27/01/24

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान मे अवस्थित है जिसके पुराने खसरा नम्बर 380 है। भूमि खसरा नम्बर 663 रकबा 3.73 हैक्टर तन् ग्राम सुराणी पटवार हल्का कल्याणपुरा किस्म बंजड़-2 सिवायचक दर्ज हैं। जिसके पुराने खसरा नम्बर 380 थे। वादी द्वारा प्रस्तुत गिरदावरियां के अनुसार उक्त भूमि खसरा नम्बर 380 मे सम्पूर्ण काश्त गिरदावरी पुराने रिकार्ड मे वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता लादूराम उर्फ लादू के नाम से दर्ज हैं। वादी का विवादित भूमि पर कदीम से कब्जा काश्त, निर्विवाद रूप से चला आ रहा हैं ऐसी स्थिति मे वादी को विवादित भूमि पर काश्त किये जाने से वंचित रखना उचित प्रतीत नही होता हैं। अतः ऐसी स्थिति से वादी का वादपत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता हैं तथा भूमिधारी को पाबंद किया जाता हैं कि भूमि खसरा नम्बर 663 रकबा 3.73 हैक्टर तन् ग्राम सुराणी पटवार हल्का कल्याणपुरा से वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 3 को बेदखल नही करे तथा यह भी निर्देशित किया जाता हैं की उक्त प्रकरण नियमन परामर्श समिति की बैठक मे विचार विमर्श कर वादी के हक मे विवादित भूमि खसरा नम्बर 663 रकबा 3.73 हैक्टर तन् ग्राम सुराणी पटवार हल्का कल्याणपुरा का नियमन किया जावे। पत्रावली सक्षम नियमन परामर्श समिति के समक्ष पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 10:43:00 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
21/01/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

--:: क्रियात्मक आदेश ::--

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् उद्घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाकर भूमिधारी को पाबंद किया जाता हैं कि भूमि खसरा नम्बर 663 रकबा 3.73 हैक्टर तन् ग्राम सुराणी पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर से वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 3 को बेदखल नही करे तथा यह भी निर्देशित किया जाता हैं की उक्त प्रकरण नियमन परामर्श समिति की बैठक मे विचार विमर्श कर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के हक मे विवादित भूमि खसरा नम्बर 663 रकबा 3.73 हैक्टर तन् ग्राम सुराणी पटवार हल्का कल्याणपुरा का नियमन किया जावे। पत्रावली सक्षम नियमन परामर्श समिति के समक्ष पेश हो। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

Rathore 23/01/24

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना

यह निर्णय आज दिनांक 23.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 10:43:00 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 23/01/24

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना